

मांग संख्या 36
मुख्य शीर्ष 2041

मद क्रमांक 1

राज्य शासन के निर्णयानुसार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छ.ग. के लिए 01 वाहन क्रय हेतु रूपये 4.00 लाख तथा पेट्रोल व्यय हेतु रूपये 1.00 लाख इस प्रकार कुल 5.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 5,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 2

राज्य शासन के निर्णयानुसार कुल पांच चेक पोस्टों (पाटेकोहरा, भगतदेवरी, शंख, वाडुफनगर, चिल्फी) हेतु 05 नग वाहन क्रय हेतु रूपये 20.00 लाख एवं 05 वाहन चालक वेतनमान (2610-3540) हेतु रूपये 3.27 लाख इस प्रकार कुल 23.27 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 35,27,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 3

तीन नवीन उड़न दस्ता जिला महासमुंद, धमतरी एवं राजनांदगांव में गठित करने का निर्णय लिया गया है । इस पर आवर्ती राशि रूपये 23.25 लाख एवं तीन वाहन क्रय हेतु रूपये 12.00 लाख कुल रूपये 35.25 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	परिवहन निरीक्षक	03	5000-8000
2	परिवहन उप निरीक्षक	03	4000-6000
3	प्रधान आरक्षक	03	3050-4590
4	आरक्षक	12	2750-4400
5	वाहन चालक	03	2610-3540
योग		24	

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 35,25,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 4

राज्य शासन द्वारा जिला कार्यालयों हेतु फोटो कापी मशीन एवं फैंक्स मशीन क्रय करने का निर्णय लिया गया है । इस पर राशि रूपये 5.10 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 5,10,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 5

राज्य शासन के निर्णयानुसार जिलों में स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटीकरण करने हेतु रूपये 251.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 2,51,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 6

प्रदेश के पाँच स्थानों (वाडुफनगर, शंख, चिल्फी, रंगरपाली, एवं धनपूजी) में धर्मकांटा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु राशि रूपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।